

न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी-डॉ एस.पी.सिंह (आई०ए०एस०)

प्रकरण संख्या- 110/2017

बउनवान

जोधराज आयु 52 वर्ष पुत्र पाचू जाति-मीणा निवासी-बालुन्दा
तहसील-मॉंगरोल, जिला-बारां

(अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जयें नायब तहसीलदार, मॉंगरोल

(रेस्पोंडेंट)

अपील धारा-75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :-1. श्री राजेश कुमार गुप्ता, अभिभाषक
2. परोकार सरकार

(अपीलांट)
(रेस्पोंडेंट)

निर्णय दिनांक 17.09.2018

अपीलांट ने जयें अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, मॉंगरोल के आदेश दिनांक 11.02.2017 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा-75 भू राजस्व अधिनियम,1956 के तहत प्रस्तुत कर अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम-बमोरीकलां, तहसील-मॉंगरोल की आराजी खसरा नम्बर 1800 रकबा 0.64 हैक्टर किस्म चारागाह पर अतिक्रमी मानकर 768/- रुपये अर्थदण्ड एवं 90 दिन के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

अपील में लिखा है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई जवाबदेही का कोई अवसर नहीं दिया है ना ही स्वतंत्र साक्ष्य ली गयी है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त निर्णय हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर पारित किया है। अपीलांट का विवादित आराजी पर कोई कब्जा नहीं है। सरकारी तावान जमा करा दिया गया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 11.2.2017 निरस्त फरमाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जयें सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर जयें अभिभाषक अपीलांट व परोकार सरकार की बहस सुनी गयी।

जयें विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराया किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेही नहीं देकर एकतरफा निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी पर अपीलांट का कोई अतिक्रमी नहीं है, उक्त आराजी से कब्जा छोड़ दिया है। वर्तमान में तलब पडत नहीं हुई है। तावान राशि जमा करा दी है। अधीनस्थ न्यायालय ने हल्का पटवारी की झूठी रिपोर्ट को विश्वसनीय मानते हुये



सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

आदेश पारित किया गया है। अपीलांत प्रश्नगत आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में भी पश्चात्वर्ती अतिक्रमण बाबत कोई स्वतंत्र गवाहान के बयान व पूर्व बेदखलीनामा नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलांत को पश्चात्वर्ती नहीं माना जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांत के विरुद्ध एकपक्षीय निर्णय पारित करने में कानूनी भूल की है। अतः अपील अपीलांत स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 11.2.2017 निरस्त फरमाया जावे।

इसके विपरीत परोकार सरकार ने अपीलांत के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांत को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांत विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांत को पूर्व में अतिक्रमण करने पर मिसल नम्बर 19/16 निर्णय दिनांक 10.2.2016 से बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांत व परोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांत को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी चारागाह है जिसपर अपीलांत पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांत को प्रश्नगत आराजी पर अतिक्रमण करने पर मिसल नम्बर 19/16 निर्णय दिनांक 10.02.2016 से बेदखल किया जाना प्रमाणित है। अतः स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांत को उक्त प्रश्नगत आराजी चारागाह पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी पाये जाने के फलस्वरूप ही सजायाब किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई विधिक त्रुटि होना नहीं पाया जाता है।

परिणामस्वरूप, अपीलांत की अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, मोंगरोल द्वारा प्रकरण संख्या 15/2017 में पारित आदेश दिनांक 11.02.2017 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 17.09.2018 को सरे इलखिया जाकर सुनाया गया।

